दिनांक 16.03.2025

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कुतुबशेर पुलिस द्वारा 01 शातिर वाहन चोर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 01 मोटर साइकिल बरामद

अवगत कराना है कि दिनांक 24.02.2025 को वादी श्री अनुज पुत्र श्री लोकेश निवासी नंया बांस मौ0 मानकमऊ थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर ने अज्ञात चोर द्वारा वादी की मोटरसाईकिल चोरी कर ले जाने के सम्बन्ध मे ऑनलाईन ई-एफआईआर पंजीकृत करायी गयी, जिसके सम्बन्ध में थाना कुतुबशेर पर **मु0अ0सं0 55/2025 धारा 303(2) बीएनएस** पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा जनपद में अपराध की रोकथाम व वाहन चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने हेतु लगातार अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री एच0एन0 सिंह के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 16.03.2025 को थाना कुतुबशेर पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान प्रकाश में आये **अभियुक्त जोनी उर्फ जयदीप पुत्र केहर सिंह निवासी देदनोर थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर** को चौकी मानकमऊ के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से वादी की मोटरसाईकिल रजि0 नं0 UP 11 CH 5659 बरामद हुई। बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी। अभियुक्त के विरूद्ध विधिक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि मैंने यह मोटर साईकिल ग्राम राजपुरा में रविदास मन्दिर के सामने से करीब 01 महिने पहले चोरी की थी। आज मैं इस मोटर साईकिल को बेचने की फिराक में जा रहा था कि पुलिस नें मुझे पकड लिया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

जोनी उर्फ जयदीप पुत्र केहर सिंह निवासी देदनोर थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर।

बरामदगी का विवरणः-

- 01 मोटरसाइकिल स्पलेण्डर प्लस (रजि0 नं0 UP 11 CH 5559)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का नामः-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री एच0एन0 सिहं थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
2. उ0नि0 श्री अशोक कुमार थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
3. है0का0 138 कपिल कुमार थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
4. का0 1913 राजन कुमार थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।

दिनांक 16.03.2025

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना नकुड़ पुलिस द्वारा 01 शातिर नशा तस्कर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 20 ग्राम अवैध स्मैक बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अवैध मादक/नशीले पदार्थो की रोकथाम एवं इनके कारोबार में संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री अविनाश गौतम के कुशल नेतृत्व मे आज दिनांक 16.03.2025 को थाना नकुड़ पुलिस टीम द्वारा गस्त व चैकिंग के दौरान अभियुक्त **सादिक पुत्र अफलातून निवासी ग्राम घाटमपुर थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर** को ग्राम छुछकपुर से आम के बाग से गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से 20 ग्राम अवैध स्मैक बरामद हुई। बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना नकुड़ पर मु0अ0सं0 74/25 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि मैं पढा लिखा नही हूँ मै नशा करने का आदि हूं यह स्मैक मै बाहर से सस्ते दामों यहां लाकर महंगे दामों पर बेचकर मुनाफा कमाता हूँ और बची हुई स्मैक मै खुद पी लेता हूँ जिससे मेरा खर्च चल जाता है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

सादिक पुत्र अफलातून निवासी ग्राम घाटमपुर थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर।

बरामदगी का विवरणः-

20 ग्राम स्मैक

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री अविनाश गौतम थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर।
2. उ0नि0 श्री आजाद सिंह थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर।
3. है0का0 999 राजकमल थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर।
4. का0 497 गौरव थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर।
5. का0 81 राहुल राणा थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर।

दिनांक 16.03.2025

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर पुलिस मारपीट करने के मुकदमें में 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार,कब्जे से 01 तमंचा/01 खोका/01 जिंदा कारतूस .32 बोर बरामद

अवगत कराना है कि दिनांक 13.03.2025 वादी जोनी पुत्र स्व0 श्याम सिंह निवासी औजपुरा थाना सदर बाजार सहारनपुर ने एक लिखित तहरीर बाबत अभियुक्त अमर नाम पता नामालूम व अन्य साथियो द्वारा वादी के पुत्र रविकुमार व आकाश के साथ हमला कर मारपीट कर गाँली गलौच करने के सम्बन्ध मे थाना सदर बाजार पर मु0अ0स0 120/2025 धारा 131/118(1)/115(2)/352 बीएनएस पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,सहारनपुर के निर्देशन में जनपद में अपराध नियंत्रण, आराधिक घटनाओं की रोकथाम व इसमं संलिपत अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एंव क्षेत्राधिकारी नगर द्वतिय के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सुबे सिंह के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 16.03.2025 को मुखबिर की सूचना पर थाना सदर बाजार पुलिस टीम द्वारा मारपीट के मुकदमें में वांछित अभियुक्त **नैतिक पुत्र बिजेन्द्र निवासी मौहल्ला रोहित विहार थाना सदर बाजार सहारनपुर** को शाकुम्भरी विहार चौराहे के पास से गिरफ्तार किया गया ।जिसके कब्जे से 01 नाजायज तमंचा देशी .32 बोर, 01जिन्दा कारतूस/01 खोका कारतूस .32बोर बरामद हुए। बरामदगी एवं गिरफ्तारी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 3/25 आर्मस एक्ट की वृद्धि की गयी । गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ करने पर गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त ने बताया कि दिनांक 12.03.2025 को मेरा रवि कुमार व उसके भाई के साथ किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया, जिसमें मैंन अपने साथ लिये हुए तमंचे से उन्हें डराने के लिये जमीन में फायरिंग कर वहाँ से भाग गया। मैं लोगो को डराने व धमकाने के लिए अपने पास तमंचा रखता हूँ।

अभियुक्त का नाम पताः-

नैतिक पुत्र बिजेन्द्र निवासी मौहल्ला रोहित विहार थाना सदर बाजार सहारनपुर

बरामदगी -

- 01 तमंचा देशी .32 बोर
- 01 जिन्दा / 01 खोका कारतूस .32 बोर

अभियुक्त नैतिक का आपराधिक इतिहासः-

1.मु0अ0स0 492/2023 धारा 307/506 भादवि 3/25 आर्मस एक्ट थाना सदर बाजार सहारनपुर।

2.मु0अ0स0 579/2024 धारा 115(2)/118(1)/190/191(2)/191(3)/351(3)बीएनएस थाना सदर बाजार सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली टीम के नामः-

1. उ0नि0 श्री रामकुमार गौतम थाना सदर बाजार सहारनपुर।
2. का0 1837 सचिन कुमार थाना सदर बाजार सहारनपुर।
3. है0का 587 प्रदीप मावी थाना सदर बाजार सहारनपुर।